



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट - थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 08.04.2024

**थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम द्वारा 08 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध व अपराधियों व वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा द्वारा पुलिस द्वारा 8 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारसुदा वारण्टियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**गिरफ्तार वारण्टियों के नाम व पता:-**

1. लल्ला उर्फ रहीस हसन पुत्र अमीर हसन उम्र 40 वर्ष निवासी मो० साहबगंज चौराहा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
2. अफजल कुरेशी पुत्र मो० रहीस उम्र करीब 29 वर्ष निवासी मो० साहबगंज चौराहा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

3. शाहिद पुत्र जहीर हसन उम्र 37 वर्ष समस्त निवासी मो0 साहबगंज चौराहा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
4. बलवीर उर्फ ललईया पुत्र मुन्नालाल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम आवाजपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
5. बालकराम पुत्र स्व0 जीवनलाल उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम रसीदपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
6. चरन सिंह पुत्र नत्थू सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम नगला झाल थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
7. बादाम सिंह पुत्र स्व0 लाखन सिंह उम्र करीब 73 वर्ष निवासी ग्राम कुईयाबूट पचपुखरा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
8. बाकेलाल पुत्र कंचन सिंह निवासी ग्राम जिजुईया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

**गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 प्रशान्त कुमार
2. उ0नि0 मोहित मिश्रा
3. उ0नि0 दीपक कुमार
4. उ0नि0 बलवीर सिंह दांगी
5. उ0नि0 नागेन्द्र सिंह
6. उ0नि0 शिव कुमार
7. का0 यशवंत
8. का0 रोहित
9. का0 जितेन्द्र
10. का0 पंकज कुमार
11. का0 सचिन
12. का0 धर्मेन्द्र सिंह
13. का0 लायक सिंह
14. का0 नफीस

**मीडिया सेल फतेहगढ़ ।**



# फतेहगढ़ पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना मऊदरवाजा**

**दि0-08.04.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त जीशान पुत्र जाकिर निवासी 38/598 काशीराम कालोनी हैवतपुर गढिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 27/2023 वाद स0- 198/2023 धारा- 354 भादवि व 9/10 पाँक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 08.04.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि0 को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



**एडीजीसी श्री विकास कटियार**



**कोर्ट मोहरीर म0का0 स्वाती**



**पैरोकार का0 नितिन यादव**

